**समक्ष न्यायालय श्रीमान आयुक्त महोदय, संभाग भोपाल (म0प्र0)**

रिवीजन कमांक ............./13

R-1201-II/13

**मोहन चंद गौर**
आत्मज स्व0श्री नंदलाल आयु लगभग
48 साल निवासी ,ग्राम समनापुर कला,
उपगाम ठीकरी,तहसील गौहरगंज जिला रायसेन
(म0प्र0)भोपाल ...................................... पुनरीक्षणकर्ता

**वि रु द्ध**

**मिट्ठूलाल गौर**
आत्मज श्री हल्कूराम आयु लगभग,
65 साल निवासी - ग्राम समनापुर कला,
उपग्राम ठीकरी तहसील गौहरगंज जिला ,
रायसेन (म0प्र0) ................................. उत्तरदाता

**पुनरीक्षण याचिका अर्न्तगत धारा 50 मध्य प्रदेश भू0राजस्वसंहिता 1959**

याचिकाकर्ता की ओर से निम्नानुसार निवेदन है :-

याचिकाकर्ता अधीनस्थ न्यायालय श्रीमान अनुविभागीय अधिकारी महोदय गौहरगंज जिला रायसेन द्वारा राजस्व प्रकरण कमांक 76/अपील/10-11 मिट्ठूलाल विरुद्ध मोहन गौर मे पारित आदेश दिनांक 15.02.2013 (अविधि विधान अधिनियम) से परिवेदित एवं असंतुष्ट होकर निम्नलिखित तथ्यो एवं आधारो पर यह याचिका प्रस्तुत करता है :-

**पुनरीक्षण याचिका के तथ्य :-**

1. यह कि ग्राम समनापुर कलां तहसील गौहरगंज जिला रायसेन मे नंदलाल आत्मज गुलाब,इमरती बाई विधवा दयाराम के नाम से कृषि भूमि खसरा कमांक 7,13,29,3031,35,36,37,38,52,53,कुल किता 11 कुल रकबा 19.47एकड लगान 45.04 रुपये राजस्व अभिलेख मे प्रविष्ट होकर स्थित है ।
2. यह कि पुनरीक्षणकर्ता द्वारा तहसीलदार महोदय गौहरगंज के न्यायालय मे प्रश्नाधीन

R 1201-I/13 (रायसेन)

| | | |
|---|---|---|
| 28.3.2017 | आवेदक मोहन चन्द और वे स्वयं उपस्थित होकर प्रकरण नहीं चलाने का अनुरोध किया। अनुरोध स्वीकार किया जाता है। प्रकरण नहीं चलाने के कारण समाप्त किया जाता है। <br> अध्यक्ष | 25/4 <br> 28/3 |

शाक्षेमुग्वा—75—फॉर्म्स—17-6-2015—5,000.